

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी अमरचन्द्र विपक्षी रतन
किस्म मुकदमा बिबिध पत्रावली संख्या 126/22 सन् _____

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><u>28/7/25</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय साँच 5:00 PM हो चुके हैं। प्रार्थी स्वयं एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली वर्तमान में साक्ष्य प्रार्थी में लम्बित हैं। प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य पेश नहीं करने से स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अपने वाद के प्रति समग नहीं हैं। प्रार्थी मात्र उकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं। आज भी स्वयं प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	



सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

